प्रति,

श्रीमान थाना प्रभारी,

सिविल लाईन, जिला रायपुर (छ.ग.)

विषय :– मेमन परिवार अफजिया मेमन उनके पति तरबेज मेमन पिता मोहम्मद अकबर एवं उनके जेठ शहिद मेमन पिता मोहम्मद अकबर एवं अन्य लोगो के ब्लाक नंबर 6, प्लाट नंबर 4/5 मे स्थित भूमि राजातालाब रायपुर छ.ग. में कब्जा करने के प्रयास बाबत् शिकायत एवं अपराध पंजीबद्ध हेतु।

महोदय,

यह कि मै हरदयाल सिंह पिता स्व. थम्मन सिंह निवासी रवि नगर रायपुर छ.ग. यह कि मेरे स्वामित्व की भूमि जो कि ब्लाक नंबर 6 प्लाट नंबर 4/5 रकबा 2525 वर्गफीट राजातालाब मे स्थित है।

यह कि उपरोक्त भूमि में बाउंड्रीवाल निर्मित है एवं आवास हेतु कमरा भी स्थित है आज दिनांक 24.02.2024 को उक्त संपत्ति में **अफजिया मेमन, उनके पति तरबेज मेमन, पिता मोहम्मद अकबर एवं उनके जेठ शहिद मेमन, पिता मोहम्मद अकबर निवासी नूरानी मस्जिद के पीछे रवि नगर पंडरी तराई रायपुर एवं अन्य लोगो** द्वारा ताला तोडकर कब्जा के संबंध में माननीय जिला न्यायालय रायपुर द्वारा व्यवहार अपील क्रमांक 80 ए /2018 द्वारा पारित निर्णय एवं डिक्री दिनांक 17.01.2024 द्वारा हमारे पक्ष निर्णय दिया गया एवं अफजिया मेमन को हमारे कब्जे में दखल देने से निषेधित किया गया।

यह कि उपरोक्त अपराधीगण अफजिया मेमन पति तरबेज मेमन एवं जेठ शाहिद मेमन एवं अन्य साथी द्वारा उपरोक्त भूमि मे ताला तोड़कर कब्जा करने का प्रयास किया जा रहा है। जो कि अपराधिकृत्य एवं माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय की अवमानना भी है।

उक्त अपराधी द्वारा आवेदक एवं उनके परिवार को हानि पहुंचाने का धमकी दिया गया है।

अतः महोदय से निवेदन है कि उपरोक्त व्यक्तियों के विरूद्ध एफ.आई.आर. दर्ज करने की कृपा करे एवं आवेदकगण के संपत्ति एवं परिवार को भू माफिया से संरक्षण प्रदान करने की कृपा करें।

दिनांक. 24.02.2024

आवेदक

संलग्न दस्तावेज :– कोर्ट के आदेश की कापी।

हरदयाल सिंह
पता – रवि नगर शुक्ला कालोनी
रायपुर (छ.ग.)
मो.नंबर 9893104600

थाना सिविल लाईन रायपुर (छ.ग.) दिनांक 24/02/24

एक्स सी0ए0न0— 1332/2024 सत्यप्रतिलिपि, व्यवहार अपील प्र0 क— 80 ए/2018, निर्णय दिनांक—17.01.2024

न्यायालय— श्रीमान अब्दुल जाहिद कुरैशी, जिला न्यायाधीश रायपुर छ0ग0

पक्षकार— हरदयाल सिंह, पिता— स्व: थम्मन सिंह निवास रवि नगर शुक्ला कॉलोनी रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ0ग0 बनाम 1— अफजिया मेमन, धर्मपत्नि तबरेज मेमन, निवासी नूरानी मस्जि के पीछे रवि नगर पंडरी तराई रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ0ग0 2—वीरेन्द्र सिंग, पिता— सरदार प्यारा सिंग निवासी शांति नगर पूर्व पार्ष गग्गी के घर के पीछे रायपुर तहसील व जिला रायपुर छ0ग0

17.01.2024	अपीलार्थी की ओर से श्री एल0के0 मिश्रा अधिवक्ता। उत्तरवादी कमांक 01 की ओर से श्री एम0जेड0 खान अधिवक्ता। उत्तरवादी कमांक 02 की ओर से श्री कुणाल फरिकार अधिवक्ता। प्रकरण निर्णय हेतु नियत है। प्रकरण में पृथक से निर्णय तैयार किया जाकर हस्ताक्षरित एवं दिनांकित कर घोषित किया गया। तदनुसार अपीलार्थी/वादी की ओर से प्रस्तुत अपील अंशतः स्वीकार किया गया और विचारण न्यायालय के निर्णय और आज्ञप्ति दिनांक 02.06.2018 को निरस्त किया गया। तदनुसार अपीलीय आज्ञप्ति बनायी जावे। तैयार आज्ञप्ति पर आपत्ति के संबंध में सूचना पत्र न्यायालय के सूचना फलक पर चस्पा किया जाये यदि किसी पक्ष को आज्ञप्ति पर आपत्ति हो तो आगामी तिथि पर प्रस्तुत करे। आज्ञप्ति पर आपत्ति हेतु — दिनांक 22.01.2024 (अब्दुल ज़ाहिद कुरैशी) जिला न्यायाधीश रायपुर जिला रायपुर (छ0ग0)	17/01/2024 वास्ते प्रतरवादी-1 N.F. 17/1/24 N.F.

शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव—FS/65—12/2022—2,00,000

कोर्ट फी Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES ONLY

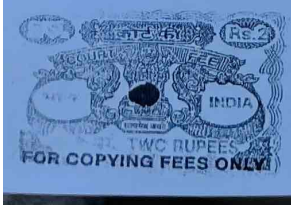

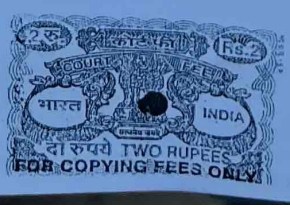

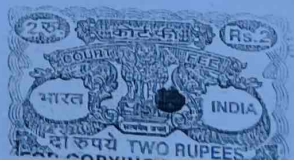

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रतिलिपि अनुभाग
रायपुर (छ.ग.)

II–156
C.J.

Order Sheet [Contd.]

CA Case No. 8064/2018 of 20.................

Date of Order or Proceeding	Order or Proceeding with Signature of Presiding Officer	Signature of Parties or Pleaders where necessary
	पुनःश्च निर्णयानुसार आज्ञप्ति तैयार किया जाकर सूचना नोटिस बोर्ड में चस्पा किया गया। प्रकरण पूर्ववत – 22.01.2024 **(अब्दुल ज़ाहिद कुरैशी)** जिला न्यायाधीश रायपुर (छ0ग0) **(Abdul Zahid Qurashi)** **District Judge** **Raipur (C.G.)**	
22.01.2024	पक्षकारों की ओर से आज्ञप्ति पर कोई आपत्ति पेश नही। अतः आज्ञप्ति हस्ताक्षरित व दिनांकित की गयी। प्रकरण समाप्त। प्रकरण का परिणाम दर्ज कर विहित समयावधि में अभिलेखागार भेजा जावे। **(अब्दुल ज़ाहिद कुरैशी)** जिला न्यायाधीश रायपुर (छ0ग0) **(Abdul Zahid Qurashi)** **District Judge** **Raipur (C.G.)**	

[P.T.O.

1. Application Received on 5/4/24
2. Applicant told to appeared on 5/4/24
3. Applicant appeared on 6/5/24
4. Appliation (With or without further or correct particulars sent to Record Room) on 5/5/24
5. Application received from Record Room (with recard or without record or without record for further or correct particulers) on 6/5/24
6. Applicant given notice for further or correct particulars on
7. Applicant Given notice for furthe funds on
8. Notice column 5 or 7 compll
9. Copy ready on 6/5/24
10. Copy delivered or sent on 6/5/24
11. Court fees realised

सत्य-प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर. (छ.ग.)

13321/24 निर्णय की नकल (10)

न्यायालयः–जिला न्यायाधीश रायपुर जिला–रायपुर (छ.ग.)

(पीठासीन अधिकारी–अब्दुल जाहिद कुरैशी)

// निर्णय //

(आज दिनांक : 17 जनवरी 2024 को घोषित किया गया)

व्यवहार अपील कमांक–80ए/2018
संस्थित दिनांक–02/07/2018

हरदयाल सिंह, आयु लगभग 67 वर्ष,
पिता स्व0 थम्मन सिंह, निवासी रवि नगर,
शुक्ला कालोनी, रायपुर,
तहसील व जिला रायपुर (छ0ग0) ——— **अपीलार्थी/वादी**

अपीलार्थी व्दारा श्री एल0के0 मिश्रा अधिवक्ता।

// विरुद्ध //

1. अफजिया मेमन, आयु लगभग 32 वर्ष,
   पत्नी तबरेज मेमन, निवासी पुरानी मस्जिद
   के पीछे, रवि नगर, पंडरीतराई, रायपुर,
   तहसील व जिला रायपुर (छ0ग0)
2. वीरेन्द्र सिंग, आयु लगभग 68 वर्ष,
   पिता सरदार प्यारा सिंग, निवासी शांतिनगर
   पूर्व पार्षद गग्गी के घर के पीछे, रायपुर,
   तहसील व जिला रायपुर (छ0ग0) ——— **उत्तरवादीगण/प्रतिवादीगण**

उत्तरवादी कमांक–1 द्वारा श्री एम0जेड0खान अधिवक्ता।
उत्तरवादी कमांक–2 व्दारा श्री कुणाल फरिकार अधिवक्ता।

न्यायालय–श्री असलम खान, नवम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–2, रायपुर के द्वारा व्यवहार वाद कमांक–31अ/2018, हरदयाल सिंह विरुद्ध अफजिया मेमन एवं अन्य में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 02 जून 2018 से क्षुब्ध होकर प्रस्तुत नियमित व्यवहार अपील।

17/1/24

(Abdul Zahid Qurashi)
District Judge
Raipur (C.G.)

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रतिलिपि अनुभाग
रायपुर (छ.ग.)

1. अपीलार्थी/वादी ने यह नियमित व्यवहार अपील अंतर्गत धारा–96 व्यवहार प्रकिया संहिता, नवम् व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो, रायपुर द्वारा व्यवहार वाद क्रमांक–31अ/2018, हरदयाल सिंह विरूध्द अफजिया मेमन एवं अन्य में पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक–02 जून 2018 से क्षुब्ध होकर पेश किया है, जिसके द्वारा उक्त न्यायालय ने अपीलार्थी/वादी का वाद निरस्त किया है।

2. अपीलार्थी/वादी द्वारा प्रस्तुत इस अपील में पूर्व मे उत्तरवादीगण के एकपक्षीय रहने से पूर्वाधिकारी द्वारा दिनांक 07.12.2018 को निर्णय घोषित किया गया था। उत्तरवादी कमांक 1 द्वारा प्रस्तुत विविध व्यवहारवाद कमांक 31/2020 अफजिया मेमन विरूद्ध हरदयाल सिंह व 1 अन्य में इस न्यायालय के पूर्व पीठासीन अधिकारी द्वारा पारित आदेश दिनांक 11 अक्टूबर 2022 के द्वारा पूर्व में पारित एकपक्षीय निर्णय दिनांक 07.12.2018 को अपास्त करने पर पुनः व्यवहार अपील कमांक 80ए/2018 में निर्णय पारित किया जा रहा है।

3. अपीलार्थी/वादी का विचारण न्यायालय में अभिवचन संक्षेप में इस प्रकार रहा है कि अपीलार्थी/वादी के पिता थम्मन सिंह को आवासीय प्रयोजन के लिये ब्लाक नबर–06, प्लाट नंबर–4/5, रकबा 2525 वर्गफीट भूमि स्थित राजातालाब, रायपुर को शासन व्दारा पट्टे पर दिया गया था जिसका नवीनीकरण दिनांक 26.03.2014 को किया गया जिसका पंजीयन भी उपपंजीयक कार्यालय, रायपुर में किया गया है। उक्त पट्टे की भूमि को प्रकरण में विवादित भूमि कहा गया है जिसका नक्शा वाद–पत्र के साथ संलग्न किया गया है। दिनांक 05.03.2015 को थम्मन सिंह की मृत्यु होने के पश्चात् वादी का नाम राजस्व अभिलेख में उसके पिता सरदार थम्मन सिंह के स्थान पर दर्ज किया गया और अब विवादित स्थान का स्वामी अपीलार्थी/वादी है। उक्त वादग्रस्त भूमि पर निर्माण कार्य हेतु अपीलार्थी/वादी के व्दारा नगरपालिका निगम, रायपुर से दिनांक 23.11.2017 को नक्शा स्वीकृत कराया गया है। जब निर्माण कार्य प्रारंभ हुआ तो दिनांक 03.01.2018 को उत्तरवादी कमांक 1/प्रतिवादी कमांक–1 और उसके रिश्तेदार/मित्र/कर्मचारी आसिफ मेमन एवं उसके साथी आ गये जिसके कारण वादी को निर्माण कार्य रोकना पड़ा है। उक्त वादग्रस्त स्थान में उत्तरवादीगण/प्रतिवादीगण को किसी प्रकार का कोई हक और अधिकार नहीं है। उक्त अवैधानिक कृत्य की सूचना उत्तरवादीगण/प्रतिवादीगण को दिया गया परंतु उनके व्दारा कोई कार्यवाही नहीं की गयी जिसके कारण वादी व्दारा वादग्रस्त स्थान का स्वामी वादी को घोषित किये जाने और उत्तरवादीगण/प्रतिवादीगण को अपीलार्थी/वादी आधिपत्य में दखल

17/11/24
(Abdul Zahid Qurashi)
District Judge
Raipur (C.G.)

देने से स्थायी निषेधाज्ञा व्दारा निषेधित किये जाने हेतु वाद प्रस्तुत किया गया है।

4. विचारण न्यायालय के समक्ष उत्तरवादीगण/प्रतिवादीगण एकपक्षीय रहे हैं और उनके व्दारा जवाबदावा नहीं दिया गया है।

5. विचारण न्यायालय ने निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 02/06/2018 के द्वारा वाद निरस्त किया है, जिससे क्षुब्ध होकर अपीलार्थी/वादी ने यह अपील प्रस्तुत किया है।

6. इस अपील के निराकरण हेतु विचारण न्यायालय के मूल व्यवहार वाद कमांक–31अ/2018, हरदयाल सिंह विरूध्द आफजिया मेमन एवं अन्य, निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक 02/06/2018 के अभिलेख का अवलोकन, परिशीलन किया गया।

7. अब अपील के निराकरण हेतु मुख्य विचारणीय प्रश्न है, कि–

"क्या विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आज्ञप्ति दिनांक – 02/06/2018 तथ्य और विधि के अनुकूल न होने से अपास्त किये जाने योग्य है?"

विवेचना एवं निष्कर्ष

8. विचारण न्यायालय में अपीलार्थी/वादी हरदयाल सिंह ने स्वयं का तथा जे0पी0मिश्रा (वा0सा02) और व्ही0के0लाल (वा0सा03) का परीक्षण कराया है तथा प्रदर्श पी01 से प्रदर्श पी07 तक के दस्तावेज प्रस्तुत किया है। उत्तरवादीगण/प्रतिवादीगण उक्त व्यवहारवाद के विचारण में अनुपस्थित होकर एकपक्षीय रहे हैं। उत्तरवादीगण/प्रतिवादीगण व्दारा कोई साक्ष्य नहीं दी गयी है।

9. अपीलार्थी/वादी हरदयाल सिंह (वा0सा01) ने विचारण न्यायालय के समक्ष कथन कर बताया है कि सरदार थम्मन सिंह को आवासीय प्रयोजन के लिये शासन से ब्लॉक नम्बर 6, प्लाट नंबर–4/5, रकबा 2525 वर्गफुट राजा तालाब रायपुर को पट्टे पर प्राप्त हुई थी। इसके अनुसार पट्टे का नवीनीकरण दिनांक 26.03.2014 को किया गया है। इसने पट्टे का नवीनीकरण विलेख प्र.पी.01 पेश किया है जिसका पंजीयन दिनांक 03.04.2014 होना कहा है। इसके अनुसार यह भूमि थम्मन सिंह की मृत्यु के पश्चात इसे प्राप्त हुई थी। इसने अपने पिता थम्मन सिंह के स्थान पर इसका नाम दर्ज कराने नजूल अधिकारी रायपुर के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करना जिस पर दिनांक 11.06.2015 को इसके पक्ष में आदेश पारित किया जाना जो प्र.पी.02 होना बताया है। इसके अनुसार नजूल संधारण खसरा में इसका नाम दर्ज किया जा चुका है जिसकी प्रमाणित प्रतिलिपि प्र.पी.03 है। इसके अनुसार नगर पालिका निगम

17/11/19

(Abdul Zahid Qurashi)
District Judge
Raipur (C.G.)

रायपुर में यह भूमि इसके पिता के नाम से दर्ज थी जिसकी टेक्स रसीद प्र.पी.04 है। इसके अनुसार वर्तमान में नगर पालिका निगम रायपुर में इसका नाम दर्ज किया जा चुका है जिसके टेक्स का भुगतान यह कर रहा है जिसकी टेक्स रसीद प्र.पी.05 है। इसने नगर पालिका निगम से इस भूमि में निर्माण कार्य करने के लिये नक्शा स्वीकृत कराना जो स्वीकृत नक्शा प्र. पी.06 होना, भवन निर्माण अनुज्ञा का आदेश प्र.पी.07 बताया है।

10. वादी/अपीलार्थी के द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है कि मोहल्ला राजातालाब, रायपुर, जिला रायपुर स्थित भूमि ब्लाक नंबर–6, प्लाट नंबर–4/5, रकबा 2525 वर्गफीट आवासीय प्रयोजन हेतु शासन व्दारा सरदार थम्मन सिंह को दिनांक 31.03.2010 को समाप्त होने वाली अवधि के लिये पट्टे पर दिया गया था जिसका नवीनीकरण दिनांक 01. 04.2010 से दिनांक 31.03.2040 तक की अवधि हेतु किया गया था जिसका पट्टा नवीनीकरण का दस्तावेज प्रदर्श पी01 है। उसके पश्चात् अपीलार्थी/वादी के पिता थम्मन सिंह की मृत्यु हो जाने पर वादी/अपीलार्थी हरदयाल सिंह ने न्यायालय नजूल अधिकारी, रायपुर के समक्ष वादग्रस्त भूमि का नामांतरण उसके नाम किये जाने हेतु आवेदन प्रस्तुत किया जिस पर दर्ज राजस्व मामला कमांक–117अ/20(3)वर्ष 2014–15, हरदयाल सिंह विरूध्द छ0ग0 शासन में पारित आदेश दिनांक 11.06.2015 के व्दारा वादग्रस्त भूमि का नामांतरण स्व0 थम्मन सिंह के पुत्र अपीलार्थी/वादी हरदयाल सिंह के नाम किया गया है और नजूल अभिलेख में उसका नाम दर्ज किये जाने का आदेश दिया गया है जिसका आदेश प्रदर्श पी02 है। मैंटेनेंस खसरा की प्रमाणित प्रतिलिपि प्रदर्श पी03 है जिससे वादग्रस्त भूमि पूर्व में सरदार थम्मन सिंह के नाम दर्ज होने और नामांतरण पश्चात् वादी सरदार हरदयाल सिंह के नाम पर दर्ज होने की पुष्टि होती है। उसी प्रकार नगरपालिका निगम, रायपुर में प्रापर्टी टैक्स जमा करने के संबंध में सरदार थम्मन सिंह के नाम की रसीद प्रदर्श पी04 और सरदार हरदयाल सिंह के नाम की रसीद प्रदर्श पी05 भी प्रस्तुत है। अतः वादग्रगस्त भूमि पूर्व में वादी/अपीलार्थी के पिता थम्मन सिंह को पट्टे पर शासन व्दारा आबंटित होना और वादी के पिता थम्मन सिंह की मृत्यु के पश्चात् वादी हरदयाल सिंह के नाम उक्त भूमि का नामांतरण होना वादी/अपीलार्थी के कथन और उसके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजों से स्पष्ट है।

11. अपीलार्थी/वादी हरदयाल सिंह (वा0सा01) के अनुसार प्रतिवादीगण आसिफ मेमन और अन्य बहुत से लोग दिनांक 03.01.2018 को निर्माण कार्य के लिये इसके द्वारा कॉलम के चुना से रेखांकित किया जा रहा था उसमें बाधा उत्पन्न कर लड़ाई झगड़ा किये थे

(Abdul Zahid Qurashi)
District Judge
Raipur (C.G.)

तो यह वापस आ गया था। इसने उस समय जे.पी. मिश्रा, व्ही.के. लाल वहां उपस्थित होना बताया है। इसने इस संबंध में थाना सिविल लाईन में रिपोर्ट करना जिसकी पावती प्रकरण में पेश करना बताया है। जे.पी. मिश्रा (वा.सा.–2) एवं व्ही.के. लाल (वा.सा.–3) ने भी वादी के कथनों की पुष्टि करते हुये बताये है कि दिनांक 01.03.2018 को वादी के साथ विवादित स्थान में निर्माण कार्य करने के लिये चुना लगा रहे थे तब आफजिया मेमन, आसिफ मेमन बहुत से लोगो के साथ वहां आकर हरदयाल सिंह के कार्य में बाधा उत्पन्न किये थे और लड़ाई झगड़ा के लिये उतारू हो गये थे। उक्त साक्षियों के कथनों के खंडन में कोई साक्ष्य नहीं है। अतः उपरोक्त साक्ष्य के आधार पर यह प्रमाणित है कि वादी व्दारा वादग्रस्त भूमि पर किये जा रहे निर्माणकार्य के दौरान प्रतिवादीगण के व्दारा बाधा उत्पन्न किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में वादी को प्रतिवादीगण के विरूध्द वाद प्रस्तुत करने का अधिकार उत्पन्न हो गया है।

12. अपीलार्थी/वादी ने विचारण न्यायालय के समक्ष वाद प्रस्तुत कर अनुतोष चाहा है कि उसे वादग्रस्त स्थान का स्वामी घोषित किया जाये और प्रतिवादीगण को उसके निर्माणकार्य में बाधा उत्पन्न करने और हस्तक्षेप करने से स्थायी निषेधाज्ञा व्दारा निषेधित किया जाये। उपरोक्तानुसार प्रमाणित है कि वादी वादग्रस्त भूमि का पट्टाधारी है। वादग्रस्त भूमि शासकीय नजूल भूमि है जिसका पट्टा पूर्व में वादी के पिता थम्मन सिंह को दिया गया था और थम्मन सिंह की मृत्यु के पश्चात उक्त भूमि का नामांतरण वादी के नाम किया गया है। पट्टा प्रदर्श पी01 के अनुसार उक्त भूमि का वर्तमान पट्टाधारी वादी/अपीलार्थी है और पट्टे की अवधि दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 31.10.2040 तक है।

13. उत्तरवादी कमांक 1 की ओर से मुख्य तर्क यही किया गया है कि विवादित भूखण्ड उत्तरवादी कमांक 2 के हक, आधिपत्य और स्वामित्व का था जिसे दिनांक 27.11.2007 को उत्तरवादी कमांक 1 के पास विलेख निष्पादित कर कब्जा सौंप दिया है। अपीलार्थी और उत्तरवादी कमांक 02 के बीच में विवादित प्लॉट के संबंध में दिनांक 26.11.2007 को आपसी समझौता किया गया था जिसमें उत्तरवादी कमांक 1 के पक्ष में हस्तांतरण के संबंध में अपीलार्थी ने अभिस्वीकृति प्रदान किया था। अतः इस राजीनामा ईकरारनामा से अपीलार्थी विबंधित है। विवादित भूखण्ड पर अपीलार्थी का कब्जा नही है इसलिए उसने निष्पादन प्रकरण में कब्जे की मांग किया है। विवादित भूखण्ड का स्वामी उत्तरवादी कमांक 1 है जिसके विरूद्ध निषेधाज्ञा प्रदान नही की जा सकती है। अपीलार्थी का दावा अविध बाह्य है। अतः अपील निरस्त की जाये। उत्तरवादी की ओर से अपने तर्को के संबंध में न्यायदृष्टांत पढीयार

(Abdul Zahid Qurashi)
District Judge
Raipur (C.G.)

प्रहलादजी चेनाजी (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि विरूद्ध मनीबेन जगमल बाई (मृत) द्वारा विधिक प्रतिनिधि सिविल अपील नम्बर 1382/2022 निर्णय दिनांक 03 मार्च 2022 (माननीय उच्चतम न्यायालय) पेश किया गया है जिसमें बताया गया है कि वास्तविक स्वामी के विरूद्ध स्थायी निषेधाज्ञा प्रदान नही की जा सकती है।

14. वर्तमान प्रकरण में अपीलार्थी/वादी द्वारा विवादित भूमि ब्लॉक नम्बर 6, प्लॉट नम्बर 4/5, रकबा 2525 वर्गफुट राजातालाब जिला रायपुर के स्वामित्व की घोषणा एवं स्थायी निषेधाज्ञा हेतु विचारण न्यायालय के समक्ष दावा प्रस्तुत किया गया है। उपरोक्तानुसार अपीलार्थी/वादी को विवादित भूमि का स्वामी होना नही पाया गया है बल्कि उसकी हैसियत कब्जेदार की है। अपीलार्थी/वादी का पट्टा दिनांक 31.03.2040 तक के लिये नवीनीकृत किया जाना अपर कलेक्टर रायपुर के आदेश प्र.पी.01 से स्पष्ट है। अपीलार्थी/वादी ने इस भूमि में प्रतिवादी/ उत्तरवादीगण द्वारा हस्तक्षेप करने से रोकने का निवेदन किया है। प्रतिवादी/ उत्तरवादीगण विचारण न्यायालय के समक्ष एकपक्षीय रहे है और वादी तथा उसके साक्षियों के कथनों का कोई प्रतिपरीक्षण नही किया गया है और खण्डन में कोई साक्ष्य प्रस्तुत नही की गयी है। विवादित भूमि उत्तरवादी कमांक 1/ प्रतिवादी के स्वतत्व की हो इस संबंध में कोई भी दस्तावेज प्रमाणित नही कराये गये है। इस विवादित भूमि पर प्रतिवादी/ उत्तरवादी कमांक 1 का आधिपत्य हो और उसका कब्जा अपीलार्थी/वादी ने चाहा हो इस संबंध में भी कोई दस्तावेज प्रमाणित नही कराये गये है। विवादित भूमि उत्तरवादी कमांक 1 के स्वामित्व की होकर उस पर अपीलार्थी/वादी द्वारा स्थायी निषेधाज्ञा चाही जा रही हो यह भी स्पष्ट नही है। अतः इस संबंध में उत्तरवादी कमांक 1 की ओर से किया गया तर्क स्वीकार योग्य नही है।

15. संपत्ति अंतरण अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पट्टा के आधार पर किसी भी पट्टाधारी को पट्टे में प्राप्त भूमि पर कोई स्वामित्व या स्वत्व प्राप्त नहीं होता है, केवल उसे पट्टे की भूमि का उपभोग करने का अधिकार–मात्र प्राप्त होता है। चूंकि वादी वादग्रस्त भूमि का पट्टाधारी है, अतः वह वादग्रस्त भूमि का उसे स्वामी घोषित किये जाने की मांग नहीं कर सकता है और न ही वादी को वादग्रस्त भूमि का स्वामी घोषित किया जा सकता है। ऐसी स्थिति में वादी व्दारा उसे स्वामी घोषित करने की जो प्रार्थना की गयी है, वह स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है, परंतु यह भी स्पष्ट है कि वादी वादग्रस्त भूमि का पट्टाधारी है। अपीलार्थी/वादी को वादग्रस्त भूमि का उपयोग और उपभोग पट्टे की शर्तों के अनुरूप

(Abdul Zahid Qurashi)
District Judge
Raipur (C.G.)

करने का वैधानिक अधिकार है। अपीलार्थी/वादी के वादग्रस्त भूमि में पटट्‌ाधारी की हैसियत से कब्जे में कोई अन्य व्यक्ति दखल नहीं दे सकता है और न ही उसके निर्माणकार्य में अवरोध उत्पन्न कर सकता है। चूंकि वादी और उसके साक्षियों के कथनों से यह भी प्रमाणित है कि प्रतिवादीगण व्दारा वादग्रस्त भूमि में वादी के आधिपत्य में अनाधिकृत रूप से दखल दिया जा रहा है, अतः ऐसी स्थिति में वादी को प्रतिवादीगण के विरूध्द निषेधाज्ञा प्राप्त करने का वैधानिक अधिकार है।

16. अतः उपरोक्त साक्ष्य विवेचना पश्चात् निष्कर्ष है कि वादी/अपीलार्थी वादग्रस्त भूमि का वैध पट्‌टाधारी है जिसके आधिपत्य में प्रतिवादीगण/उत्तरवादीगण व्दारा दखल दिया जा रहा है। अतः ऐसी स्थिति में विचारण न्यायालय व्दारा निर्णय दिनांक 02.06.2018 के व्दारा वाद को पूर्णतया निरस्त किया जाना उपलब्ध साक्ष्य और विधि के अनुकूल नहीं है जिसके कारण विचारण न्यायालय व्दारा पारित निर्णय और आज्ञप्ति दिनांक 02.06.2018 को निरस्त किया जाता है। अपीलार्थी/वादी की अपील अंशतः स्वीकार करते हुये अपीलार्थी/वादी के पक्ष में और प्रतिवादीगण/उत्तरवादीगण के विरूध्द निम्नलिखित आशय की आज्ञप्ति दी जाती है :–

(1) यह घोषित किया जाता है कि राजा तालाब, जिला रायपुर स्थित भूमि ब्लॉक नंबर–6, प्लाट नंबर–4/5, रकबा 2525 वर्गफीट का वादी/अपीलार्थी पट्‌टाधारी है जिसे उक्त भूमि का पट्‌टा शासन व्दारा दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 31.03.2040 तक की अवधि के लिये दिया गया है और उक्त पट्‌टे के नियम और शर्तों के अनुकूल वह अपने पट्‌टे का उपभोग और उपयोग करने हेतु वैधानिक रूप से अधिकारी है, परंतु वादी उक्त वादग्रस्त भूमि का स्वत्वधारी/स्वामी नहीं है, उसकी स्थिति पट्‌टेधारी की है।

(2) उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में वादी/अपीलार्थी के आधिपत्य में दखल देने या उसके निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार का दखल देने से प्रतिवादीगण/उत्तरवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा व्दारा निषेधित किया जाता है और आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण/उत्तरवादीगण स्वयं या अपने किसी एजेंट के माध्यम से तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वादी/अपीलार्थी के आधिपत्य में दखल नहीं देंगे और न ही उसके

12/11/19

(Abdul Zahid Qurashi)
District Judge
Raipur (C.G.)

Rs.2 COURT FEE INDIA TWO RUPEES
2रु. कोर्ट फीस Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES
2रु. कोर्ट फीस Rs.2 COURT FEE भारत INDIA दो रुपये TWO RUPEES FOR COPYING FEES
2रु. कोर्ट फीस Rs.2 COURT FEE भारत INDIA

कार्यालय जिला एवं सत्र न्यायाधीश
प्रतिलिपि अनुभाग
रायपुर (छ.ग.)

निर्माणकार्य में अवरोध उत्पन्न करेंगे।

(3) अधिवक्ता शुल्क 2000/– निर्धारित की जाती है।

(4) उत्तरवादीगण स्वयं का तथा अपीलार्थी/वादी व्यय वहन करेगे।

उपरोक्तानुसार डिकी बनायी जाये।

रायपुर,
दिनांक : 17/01/2024

(अब्दुल ज़ाहिद कुरैशी)
जिला न्यायाधीश रायपुर

(Abdul Zahid Qureshi)
District Judge
Raipur (C.G.)

सत्य-प्रतिलिपि

मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर. (छ.ग.)

1. Application Received on
2. Applicant told to appeared on
3. Applicant appeared on
4. Appliation (With or without further or correct particulars sent to Record Room) on
5. Application received from Record Room (with recard or without record or without record for further or correct particulers) on
6. Applicant given notice for further or correct particulars on
7. Applicant Given notice for furthe funds on
8. Notice column 6 or 7 compli
9. Copy ready on
10. Copy delivered or sent on
11. Court fees realised

CAN :- 1332/24 डिक्री की नकल (14)

II—320
C.J.(E)

DECREE IN APPEAL FROM ORIGINAL DECREE

(Code of Civil Procedure 1908, Order X LI Rules 35)

CIVIL APPEAL No. 80A of 2018

THE COURT OF – अब्दुल ज़ाहिद कुरैशी जिला न्यायाधीश रायपुर (छ0ग0)

हरदयाल सिंह, आयु लगभग 67 वर्ष,
पिता स्व0 थम्मन सिंह, निवासी रवि नगर,
शुक्ला कालोनी, रायपुर,
तहसील व जिला रायपुर (छ0ग0) ———— **अपीलार्थी/वादी**

// विरुद्ध //

1. अफजिया मेमन, आयु लगभग 32 वर्ष,
पत्नी तबरेज मेमन, निवासी पुरानी मस्जिद
के पीछे, रवि नगर, पंडरीतराई, रायपुर,
तहसील व जिला रायपुर (छ0ग0)
2. वीरेन्द्र सिंग, आयु लगभग 68 वर्ष,
पिता सरदार प्यारा सिंग, निवासी शांतिनगर
पूर्व पार्षद गग्गी के घर के पीछे, रायपुर,
तहसील व जिला रायपुर (छ0ग0) ——— **उत्तरवादीगण/प्रतिवादीगण**

Claim for – **प्रथम व्यवहार अपील अंतर्गत धारा 96 व्य.प्र.सं.**

Appeal from the decree of the court नवम व्यवहार न्यायाधीश वर्ग–दो रायपुर
Dated the 02.06.2018 in Civil Suit no 31–ए/2018

This Appeal coming on for hearing on the 06-01-2024 before me in the presence of

(for the appelant) श्री एल0के0 मिश्रा अधिवक्ता।
(for the defendant No 1) श्री एम0जेड0 खान अधिवक्ता।
(for the defendant No 1 & 2) श्री कुणाल फरिकार अधिवक्ता।

It is ordered and decreed that —

(1) यह घोषित किया जाता है कि राजा तालाब, जिला रायपुर स्थित भूमि ब्लॉक नंबर–6, प्लाट नंबर–4/5, रकबा 2525 वर्गफीट का वादी/अपीलार्थी पट्टाधारी है जिसे उक्त भूमि का पट्टा शासन व्दारा दिनांक 01.04.2010 से दिनांक 31.03.2040 तक की अवधि के लिये दिया गया है और उक्त पट्टे के नियम और शर्तों के अनुकूल वह अपने पट्टे का उपभोग और उपयोग करने हेतु वैधानिक रूप से अधिकारी है, परंतु वादी उक्त वादग्रस्त भूमि का स्वत्वधारी/स्वामी नहीं है, उसकी स्थिति पट्टेधारी की है।

(2) उक्त वर्णित वादग्रस्त भूमि में वादी/अपीलार्थी के आधिपत्य में दखल देने या उसके निर्माण कार्य में किसी भी प्रकार का दखल देने से प्रतिवादीगण/उत्तरवादीगण को स्थायी निषेधाज्ञा व्दारा निषेधित किया जाता है और आदेशित किया जाता है कि प्रतिवादीगण/उत्तरवादीगण स्वयं या अपने किसी एजेंट के माध्यम से तथा प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से वादी/अपीलार्थी के आधिपत्य में दखल नहीं देंगे और न ही उसके निर्माणकार्य में अवरोध उत्पन्न करेंगे।

(3) अधिवक्ता शुल्क 2000/– निर्धारित की जाती है।

(4) उत्तरवादीगण स्वयं का तथा अपीलार्थी/वादी व्यय वहन करेंगे।

22/1/24

(Abdul Zahid Qurashi)
District Judge
Raipur (C.G.)

कोर्ट फीस COURT FEE Rs.2 भारत INDIA TWO RUPEES

The cost of this appeal as detailed below amounting of Rs 2216/- are to be paid by the defendant

The cost of the original suit be paid by the xxxx उत्तरवादीगण स्वयं का तथा अपीलार्थी/वादी का स्वयं वहन करेंगे।

Given under my hand and the seal of the Court this 17 day of 01-2024

(Abdul Zahid Qurashi)
District Judge
Raipur (C.G.)

COST OF APPEAL

Plaintiff			Defendant 1			Defendant 2		
	Rs.	P.		Rs.	P.		Rs.	P.
1. Stamp for Plaint	200	00	Stamp for Powers	06	00	Stamp for Powers	10	00
2. Stamp for Powers	10	00	Stamp for petitions	00	00	Stamp for petitions	05	00
3. Stamp for petitions & Affidavit	00	00	Pleader's fee (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	2000	00	Pleader's fee (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	2000	00
4. Pleader's fee on Rs. (प्रमाण पत्र पेश नहीं)	2000	00	Subsistence for Witness	00	00	Subsistence for Witness	00	00
5. Subsistence for Witness	00	00	Service of Process	00	00	Service of Process	00	00
6. Commissioners's fee	00	00	Commissioners	00	00	Commissioners	00	00
7. Service of Process	6	00						
Total	2216	00	Total	2006	00	Total	2015	00

Judge
(Abdul Zahid Qurashi)
District Judge
Raipur (C.G.)

1. Application Received on
2. Applicant told to appeared on
3. Applicant appeared on
4. Appliation (With or without further or correct particulars sent to Record Room) on
5. Application received from Record Room (with record or without record or without record for further or correct particulers) on
6. Applicant given notice for further or correct particulars on
7. Applicant Given notice for furthe funds on
8. Notice column 6 or 7 compli
9. Copy ready on
10. Copy delivered or sent on
11. Court fees realised

सत्य-प्रतिलिपि
मुख्य प्रतिलिपिकार
जिला एवं सत्र न्यायाधीश
रायपुर. (छ.ग.)